



2026:AHC-LKO:12165

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

लखनऊ

रिट ए संख्या 226 वर्ष 2026

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

दिनांक 11.02.2026 को सुरक्षित

दिनांक 17.02.2026 को पारित

अमित गुप्ता व 5 अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ, द्वारा सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य

एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली व 5 अन्य

...प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए : आनंद दुबे

प्रतिवादी(गण) के लिए : ए.एस.जी.आई., अनघ मिश्रा

तथा 01 अन्य संबद्ध वाद

न्यायालय संख्या - 18

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद दुबे, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री वरुण पांडे, विद्वान डी.एस.जी.आई. श्री सूर्य भान पांडे, जिनकी सहायता श्री अनघ मिश्रा कर रहे हैं, को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोषों के साथ दायर की गई है:-

"उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा एम्स रायबरेली में सहायक स्टोर अधिकारी के दो पदों और निजी सचिव के तीन पदों की भर्ती के संबंध में दिनांक 11.11.2025 के विज्ञापन को निरस्त किया जाए, जो इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 3 से 5 को एम्स रायबरेली में सहायक स्टोर अधिकारी के दो रिक्त पदों और निजी सचिव के तीन पदों को एम्स नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 20.11.2024 के कार्यालय ज्ञापन में प्रदान की गई प्रक्रिया के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरने का आदेश दिया जाए।

iii. कोई भी उचित आदेश/निर्देश जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे।

iv. रिट याचिका का खर्च प्रदान किया जाए।"

3. रिट ए संख्या 132 वर्ष 2026 में, इसके अतिरिक्त, दिनांक 11.07.2025 का विज्ञापन भी चुनौती के अधीन है।

4. प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि यह रिट याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली (जिसे इसके बाद "संस्थान" कहा गया है) के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित दिनांक 11.11.2025 और 11.07.2025 के विज्ञापन, जिन्हें यहाँ चुनौती दी गई है, वास्तव में भर्ती की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (जिसे इसके बाद "1985 का अधिनियम" कहा गया है) की धारा 14 के प्रावधान प्रशासनिक अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र, शक्ति और प्राधिकार को निर्धारित करते हैं, इसलिए, याचिकाकर्ताओं के पास लखनऊ स्थित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में जाने का प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, जो एआईआर 1997 एससी 1125 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में दिए गए कानून के अनुसार, पैराग्राफ 94 से 100 में यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 14 के तहत दिए गए विषय वस्तु वाला प्रत्येक वाद या मामला, 1985 के अधिनियम के तहत स्थापित अधिकरणों के समक्ष विचारणीय होगा। निर्णय और आदेश के उक्त पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"94. अधिकरणों के निर्णयों को संबंधित उच्च न्यायालयों की खंडपीठ के समक्ष संवीक्षा के अधीन बनाने के संबंध में हमारे द्वारा जारी निर्देश, हालांकि, भविष्यलक्षी रूप से प्रभावी होंगे, यानी वे इसके बाद दिए गए निर्णयों पर लागू होंगे। न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता बनाए रखने के लिए, हमने भविष्यलक्षी अधिरोहण के सिद्धांत का आह्वान किया है ताकि पहले से दिए गए निर्णयों के संबंध में प्रक्रिया को बाधित न किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



95. हमें उन लोगों की सक्षमता के मुद्दे पर भी विचार करना आवश्यक है जो अधिकरणों का संचालन करते हैं और इस प्रश्न पर भी कि उन पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाना है। यह तर्क दिया गया है कि ऐसे अधिकरणों में केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिए जिन्हें न्यायिक अनुभव हो। प्रशासनिक अधिकरणों के मामले में, यह इंगित किया गया है कि नियुक्त किए गए प्रशासनिक सदस्यों के पास ऐसे विवादों का न्यायनिर्णयन करने का बहुत कम या कोई अनुभव नहीं है; मल्लिमथ समिति ने उल्लेख किया है कि कभी-कभी आईपीएस अधिकारियों को इन अधिकरणों में नियुक्त किया गया है। यह कहा गया है कि इन प्रशासनिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकरण में इतना छोटा होता है कि वे न्यायनिर्णयन में पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, और जिन मामलों में वे योग्यता प्राप्त कर भी लेते हैं, वह अनिवार्य रूप से उनके कार्यकाल की समाप्ति की पूर्व संध्या पर होती है। इन कारणों से, यह आग्रह किया गया है कि प्रशासनिक अधिकरणों में प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति बंद की जाए। हमें इस तरह के तर्क को स्वीकार करना कठिन लगता है। यह याद रखा जाना चाहिए कि इन अधिकरणों की स्थापना इस आधार पर की गई है कि प्रशिक्षित प्रशासकों और न्यायिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से युक्त विशेषज्ञ निकाय, अपने विशेष ज्ञान के कारण, त्वरित और कुशल न्याय प्रदान करने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित होंगे। यह अपेक्षा की गई थी कि न्यायिक सदस्यों और जमीनी अनुभव रखने वालों का विवेकपूर्ण मिश्रण इस उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगा। यह मानना कि अधिकरण में केवल न्यायिक सदस्य ही होने चाहिए, उस सिद्धांत के प्राथमिक आधार पर ही प्रहार होगा जिसके अनुसरण में उनका गठन किया गया है। चूंकि चयन समिति की अध्यक्षता अब भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है, इसलिए हमारे पास यह विश्वास करने का कारण है कि समिति यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतेगी कि प्रशासनिक सदस्यों का चयन उन लोगों में से किया जाए जिनके पास ऐसे मामलों से निपटने की कुछ पृष्ठभूमि है।

96. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि इन अधिकरणों के अक्षम रूप से कार्य करने का एक कारण यह है कि उनके पास उनकी प्रशासनिक आवश्यकताओं की देखरेख और उन्हें पूरा करने के लिए कोई प्राधिकारी नहीं है। इसके लिए, यह सुझाव दिया गया है कि अधिकरणों को उन उच्च न्यायालयों के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अधीन लाया जाए, जिनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में वे आते हैं। हालांकि, हम इस विचार के हैं कि समस्या का समाधान करने का यह सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। हम नहीं मानते कि हमारी संवैधानिक योजना के लिए यह आवश्यक है कि



उच्च न्यायालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायनिर्णयन निकायों को उनके पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अधीन होना चाहिए। यदि विचार उच्च न्यायालयों को उनके कठिन बोझ से मुक्त करना है, तो उनके पर्यवेक्षी कार्यों में वृद्धि करना किसी भी तरह से उनके लिए सहायक नहीं हो सकता है। वर्तमान स्थिति यह है कि विभिन्न अधिनियमों के तहत गठित विभिन्न अधिकरणों का प्रशासन केंद्र और राज्य सरकारों के अलग-अलग प्रशासनिक विभागों द्वारा किया जाता है। समस्या इस तथ्य से और जटिल हो जाती है कि कुछ अधिकरणों का निर्माण केंद्रीय विधानों के अनुसरण में किया गया है और कुछ अन्य का निर्माण राज्य विधानों द्वारा किया गया है। हालांकि, संसदीय विधानों द्वारा निर्मित अधिकरणों के मामले में भी, प्रशासन में कोई एकरूपता नहीं है। हमारा मानना है कि, जब तक कि ऐसे सभी अधिकरणों के प्रशासन के लिए एक पूर्णतः स्वतंत्र एजेंसी स्थापित नहीं की जाती, तब तक यह वांछनीय है कि ऐसे सभी अधिकरण, जहाँ तक संभव हो, एक एकल नोडल मंत्रालय के अधीन होने चाहिए जो इन अधिकरणों के कामकाज की निगरानी करने की स्थिति में हो। कई कारणों से, वह मंत्रालय उपयुक्त रूप से विधि मंत्रालय होना चाहिए। मंत्रालय के लिए, बदले में, अधिकरणों के कामकाज की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी निकाय नियुक्त करना खुला होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि यदि अधिकरण का अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी किसी कारणवश अधिकरण के कामकाज में पर्याप्त रुचि लेने में असमर्थ है, तो पूरी व्यवस्था कमजोर न पड़े और न्याय का अंतिम उपभोक्ता पीड़ित न हो। हमारे विचार में, एक एकल छत्र संगठन का निर्माण वर्तमान प्रणाली की कई बुराइयों को दूर करेगा। यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय और राज्य स्तरों पर अलग-अलग छत्र संगठन हो सकते हैं। इस तरह के पर्यवेक्षी प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसे सभी अधिकरणों के सदस्यों की स्वतंत्रता बनी रहे। उस हद तक, अधिकरणों के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया, अधिकरणों के कामकाज के लिए धन आवंटित करने का तरीका और अन्य सभी परिणामी विवरणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना होगा।

97. अधिकरणों में नियुक्तियों और उनके प्रशासनिक कार्य के पर्यवेक्षण के संबंध में हमारे द्वारा दिए गए सुझावों पर उन लोगों द्वारा विस्तार से विचार किया जाना चाहिए जिन्हें इस संबंध में नीति तैयार करने का कर्तव्य सौंपा गया है। उस निकाय को इस संबंध में विधि आयोग (LCI) और मल्लिमथ समिति जैसे विशेषज्ञ निकायों की टिप्पणियों पर भी विचार करना होगा। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि भारत संघ इस दिशा में कार्रवाई शुरू करे और सभी संबंधित पक्षों के



साथ परामर्श करने के बाद, इन सभी अधिकरणों को एक एकल नोडल विभाग, अधिमानतः विधि विभाग, के अधीन रखे।

98. चूंकि हमने अधिनियम की धारा 5(6) की संवैधानिक वैधता के मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण कर लिया है, इसलिए अब हम इस पहलू पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। यद्यपि डॉ. महाबल राम मामले [(1994) 2 एससीसी 401 : 1994 एससीसी (एल एंड एस) 642 : (1994) 27 एटीसी 97] में प्रावधान की संवैधानिक वैधता प्रश्नगत नहीं थी, हमारा मानना है कि उस मामले में अपनाया गया दृष्टिकोण, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस निर्णय के पहले भाग में उद्धृत किया गया है, सही है क्योंकि यह सामंजस्यपूर्ण रूप से उस तरीके का समाधान करता है जिससे धारा 5(2) और 5(6) एक साथ कार्य कर सकती हैं। हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहाँ संविधान के संबंध में किसी वैधानिक प्रावधान या नियम की व्याख्या से जुड़ा कोई प्रश्न प्रशासनिक अधिकरण की एकल सदस्यीय पीठ के विचारार्थ उत्पन्न होता है, वहाँ धारा 5(6) का परंतुक स्वतः लागू हो जाएगा और अध्यक्ष या संबंधित सदस्य मामले को कम से कम दो सदस्यों वाली पीठ के पास संदर्भित करेंगे, जिनमें से एक का न्यायिक सदस्य होना अनिवार्य है। यह सुनिश्चित करेगा कि किसी वैधानिक प्रावधान या नियम की संवैधानिकता से जुड़े प्रश्न कभी भी एकल सदस्यीय पीठ या ऐसी पीठ के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए नहीं आएंगे जिसमें कोई न्यायिक सदस्य शामिल न हो। इस प्रकार अर्थ लगाए जाने पर, धारा 5(6) अब असंवैधानिकता के आरोपों के प्रति संवेदनशील नहीं रहेगी।

99. हमारे द्वारा अपनाए गए तर्क के मद्देनजर, हम यह मानते हैं कि अनुच्छेद 323-ए का खंड 2(डी) और अनुच्छेद 323-बी का खंड 3(डी), उस सीमा तक जहाँ तक वे संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 के तहत उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करते हैं, असंवैधानिक हैं। अधिनियम की धारा 28 और अनुच्छेद 323-ए तथा 323-बी के तत्वावधान में अधिनियमित अन्य सभी कानूनों में "अधिकार क्षेत्र का अपवर्जन" करने वाले खंड, उसी सीमा तक, असंवैधानिक होंगे। संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालयों को और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र हमारे संविधान के अलंघनीय मूल ढांचे का एक हिस्सा है। हालाँकि इस अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता है, फिर भी अन्य न्यायालय और अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226/227 और 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में एक पूरक भूमिका निभा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 323-ए और अनुच्छेद 323-बी के तहत गठित अधिकरण वैधानिक प्रावधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता का



परीक्षण करने में सक्षम हैं। हालाँकि, इन अधिकरणों के सभी निर्णय उस उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष संवीक्षा के अधीन होंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिकरण आता है। इसके बावजूद, अधिकरण उन क्षेत्रों में प्रथम दृष्ट्या न्यायालयों की तरह कार्य करना जारी रखेंगे, जिनके लिए उनका गठन किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के लिए यह खुला नहीं होगा कि वे सीधे उच्च न्यायालयों का रुख करें, उन मामलों में भी जहाँ वे वैधानिक कानूनों की संवैधानिकता पर प्रश्न उठाते हैं (सिवाय उन मामलों के जहाँ उस विशेष अधिकरण का निर्माण करने वाले कानून को ही चुनौती दी गई हो), और संबंधित अधिकरण के अधिकार क्षेत्र की अनदेखी करें। अधिनियम की धारा 5(6) वैध और संवैधानिक है और इसकी व्याख्या उसी प्रकार की जानी चाहिए जैसा हमने संकेत दिया है।

100. इन सभी मामलों को अब एक खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है ताकि इस निर्णय में निहित टिप्पणियों के आलोक में उन्हें उनके व्यक्तिगत तथ्यों के आधार पर तय किया जा सके।"

6. आगे यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पास 1985 के अधिनियम की धारा 14 के तहत एक प्रभावी वैधानिक उपचार उपलब्ध है, इस प्रकार, यह रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

7. दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आनंद दुबे ने तर्क दिया है कि वर्तमान रिट याचिका विचारणीय है, क्योंकि विज्ञापन 'नई एम्स के लिए गैर-संकाय पदों हेतु भर्ती नियम, 2015' (जिसे इसके बाद '2015 के नियम' कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्रकाशित किया गया है और यह रिट याचिका 1985 के अधिनियम की धारा 14 के तहत संस्थान की अधिसूचना से पूर्व दायर की गई थी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भर्ती प्रक्रिया भी उस अधिसूचना से पूर्व ही शुरू कर दी गई थी।

8. उन्होंने आगे तर्क दिया कि, वास्तव में, दो पदों का विज्ञापन दिया गया है; एक सहायक भंडार अधिकारी का और दूसरा निजी सचिवों का, और नियमों के अनुसार, सहायक भंडार अधिकारी के कुल पदों का 75% पद या तो पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए और 25% पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिए, जबकि, अब तक कोई पदोन्नति नहीं की गई है। इसके अलावा, जहाँ तक निजी सचिवों के पद का संबंध है, छह पद हैं, जिनमें से तीन पद पहले ही सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जा चुके हैं और वर्तमान विज्ञापन के माध्यम से, तीन अन्य पदों



को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए विज्ञापित किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 2015 के नियमों के अनुसार, निजी सचिवों के पद के लिए पदोन्नति का 50% कोटा निर्धारित है, जिसका प्रतिवादी संस्थान द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है क्योंकि यह नियमों के प्रतिकूल है। उन्होंने तर्क दिया कि, वास्तव में, यदि किसी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा शक्तियों का कोई अवैध प्रयोग किया जाता है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार किया जा सकता है।

9. अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने 'लीलावती एन. और अन्य आदि बनाम कर्नाटक राज्य' के मामले में एसएलपी (सिविल) संख्या 27984-27988/2023 में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है और पैरा 37 का उल्लेख किया है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

*'37. फिर भी, अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका असाधारण परिस्थितियों में इस तरह के वैकल्पिक उपचार के अस्तित्व के बावजूद विचारणीय हो सकती है, जिसमें संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन; किसी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा शक्तियों का अल्ट्रा वायर्स (अधिकार क्षेत्र से बाहर) या अवैध प्रयोग; प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन; या जहाँ स्वयं मूल कानून की संवैधानिकता चुनौती के अधीन हो, शामिल हैं। हालांकि इन अपवादों को इस न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में तैयार और दोहराया गया है, लेकिन वर्तमान मामले के तथ्य इन अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं जो उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं की विचारणीयता की आवश्यकता बता सकें।'*

10. उपर्युक्त का उल्लेख करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि यह स्पष्ट शब्दों में निर्धारित किया गया है कि उन अपवादों के मामलों में वैकल्पिक उपचार कोई बाधा नहीं होगा, जहाँ भारत के संविधान के भाग III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की प्रार्थना हो, वैधानिक प्राधिकारी द्वारा शक्तियों के अल्ट्रा वायर्स (अधिकार क्षेत्र से बाहर) या अवैध प्रयोग के उदाहरण हों, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो। उन्होंने तर्क दिया कि वास्तव में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी-संस्थान ने, निजी सचिवों के पद के लिए विज्ञापन के माध्यम से, सीधी भर्ती की कार्यवाही की है, और इस प्रकार, 2015 के नियमों के तहत निर्धारित कानून का उल्लंघन किया है, जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा शक्तियों का एक गैर-कानूनी प्रयोग है, इसलिए, रिट याचिका विचारणीय है।



11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं ने '2015 के नियमों' के प्रावधानों के तहत भर्ती के लिए 'संस्थान' द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

12. वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करने के बाद, यह कहना उचित होगा कि 1985 के अधिनियम की धारा 14, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र और शक्ति की परिकल्पना करती है, जो कहती है कि 'प्रशासनिक अधिकरण, नियुक्त तिथि से और उस दिन से, उन सभी अधिकार क्षेत्रों, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनका प्रयोग उस दिन से ठीक पहले सभी न्यायालयों द्वारा किया जा सकता था।"

13. 1985 के अधिनियम की धारा 14 इस प्रकार है:-

"14. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और प्राधिकार.-(1) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए को छोड़कर, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नियुक्त तिथि से और उस दिन से, उन सभी अधिकार क्षेत्रों, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा, जिनका प्रयोग उस दिन से ठीक पहले सभी न्यायालयों (सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर) द्वारा निम्नलिखित के संबंध में किया जा सकता था-

(क) किसी अखिल भारतीय सेवा या संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन किसी सिविल पद या रक्षा से संबंधित किसी पद या रक्षा सेवाओं में, किसी भी मामले में, असैनिक द्वारा भरे गए पद पर भर्ती, और भर्ती से संबंधित मामले;

(ख) निम्नलिखित से संबंधित सभी सेवा मामले-

(i) किसी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य; या

(ii) संघ की किसी सिविल सेवा या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति [जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य या खंड (ग) में उल्लिखित व्यक्ति न हो]; या

(iii) किसी रक्षा सेवा या रक्षा से संबंधित किसी पद पर नियुक्त कोई असैनिक [जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य या खंड (ग) में उल्लिखित व्यक्ति न हो], और जो संघ या किसी राज्य या भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी निगम [या सोसाइटी] के मामलों के संबंध में ऐसे सदस्य, व्यक्ति या असैनिक की सेवा से संबंधित हो;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ग) संघ के मामलों के संबंध में सेवा से संबंधित सभी सेवा मामले, जो खंड (ख) के उप-खंड (ii) या उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति से संबंधित हों, ऐसा व्यक्ति जिसकी सेवाएं किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या किसी निगम [या सोसाइटी] या अन्य निकाय द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के निपटान पर रखी गई हों।

4[स्पष्टीकरण.—शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस उप-धारा में "संघ" के संदर्भों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि इसमें संघ राज्यक्षेत्र के संदर्भ भी शामिल हैं।]

(2) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तिथि से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उप-धारा (3) के प्रावधानों को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय या अन्य प्राधिकारियों पर, और सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली निगमों [या सोसाइटियों] पर लागू कर सकती है, जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्व वाली कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या निगम [या सोसाइटी] न हों:

परंतु यदि केंद्र सरकार इस अधिनियम द्वारा परिकल्पित योजना के प्रति संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ऐसा करना समीचीन समझती है, तो स्थानीय या अन्य प्राधिकारियों या निगमों [या सोसाइटियों] के विभिन्न वर्गों, या किसी वर्ग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के संबंध में इस उप-धारा के तहत अलग-अलग तिथियाँ विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए को छोड़कर, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, उस तिथि से और उस दिन से, जिस दिन से इस उप-धारा के प्रावधान किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या निगम [या सोसाइटी] पर लागू होते हैं, उन सभी अधिकार क्षेत्रों, शक्तियों और प्राधिकार का भी प्रयोग करेगा, जिनका प्रयोग उस तिथि से ठीक पहले सभी न्यायालयों (सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर) द्वारा निम्नलिखित के संबंध में किया जा सकता था—

(क) ऐसे स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या निगम [या सोसाइटी] के मामलों के संबंध में किसी सेवा या पद पर भर्ती, और भर्ती से संबंधित मामले; और

(ख) ऐसे स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या निगम [या सोसाइटी] के मामलों के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति [उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा] से संबंधित सभी सेवा मामले और ऐसे मामलों के संबंध में ऐसे व्यक्ति की सेवा से संबंधित विषय।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. यहाँ मुद्दा दो पदों, अर्थात् सहायक भंडार अधिकारी के साथ-साथ निजी सचिव की भर्ती के लिए विज्ञापन के संबंध में है, जो अनिवार्य रूप से '1985 के अधिनियम' का खंड 14(1)(क) का विषय है।

15. वर्तमान मामला यह है कि विचाराधीन पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन 11.11.2025 को प्रकाशित किया गया था और संस्थान को बाद में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 13.01.2026 को अधिसूचित किया गया था। आगे का तथ्य यह है कि रिट याचिका भी 08.01.2026 को दायर की गई थी, जो कि 13.01.2026 की अधिसूचना से पूर्व थी। जब यह न्यायालय प्रचलित कानून के तहत उपर्युक्त तथ्यों की जांच करता है, तो यह स्पष्ट होता है कि 1985 के अधिनियम की धारा 14 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकार का प्रावधान करती है और यह कहती है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण नियुक्त तिथि से और उस दिन से, उन सभी अधिकार क्षेत्रों, प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिनका प्रयोग सभी न्यायालयों द्वारा किया जा सकता था। नियुक्त तिथि वह 'दिन' है, जब धारा 14(2) में उल्लिखित किसी 'प्राधिकारी' को अधिसूचित किया जाता है। वह संस्थान, जिसने पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था, उसे केंद्र सरकार द्वारा 13.01.2026 को अधिसूचित किया गया है, नियुक्त तिथि पर, वर्तमान रिट याचिका लंबित है। 1985 के अधिनियम की धारा 29 लंबित मामलों के स्थानांतरण के प्रावधान की परिकल्पना करती है।

16. 1985 के अधिनियम की धारा 29 इस प्रकार है:-

*"29. लंबित मामलों का स्थानांतरण.—(1) इस अधिनियम के तहत किसी अधिकरण की स्थापना की तिथि से ठीक पहले किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक वाद या अन्य कार्यवाही, जो ऐसा वाद या कार्यवाही हो जिसका वाद-हेतुक जिस पर वह आधारित है, ऐसा हो कि यदि वह ऐसी स्थापना के बाद उत्पन्न हुआ होता, तो वह ऐसे अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होता, उस तिथि को ऐसे अधिकरण को स्थानांतरित हो जाएगा: परंतु इस उप-धारा की कोई भी बात उच्च न्यायालय के समक्ष यथापूर्व लंबित किसी अपील पर लागू नहीं होगी।"*

*(2) उस तिथि से ठीक पहले, जिससे किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या निगम [या सोसाइटी] के संबंध में किसी अधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक वाद या अन्य कार्यवाही, जो ऐसा वाद या कार्यवाही हो जिसका वाद-हेतुक जिस पर वह आधारित है, ऐसा हो कि यदि वह उक्त तिथि के बाद उत्पन्न हुआ होता,*

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



तो वह ऐसे अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में होता, उस तिथि को ऐसे अधिकरण को स्थानांतरित हो जाएगा: परंतु इस उप-धारा की कोई भी बात उच्च न्यायालय के समक्ष यथापूर्व लंबित किसी अपील पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या निगम [या सोसाइटी] के संबंध में "वह तिथि जिससे अधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है", का अर्थ है वह तिथि जिससे धारा 14 की उप-धारा (3) या, यथास्थिति, धारा 15 की उप-धारा (3) के प्रावधान ऐसे स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या निगम [या सोसाइटी] पर लागू होते हैं।

(3) जहाँ संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की तिथि से ठीक पहले, उन राज्यों में से जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है, किसी एक या अधिक राज्यों में कोई राज्य अधिकरण या राज्य अधिकरण हैं, वहाँ उक्त तिथि से ठीक पहले ऐसे राज्य अधिकरण या राज्य अधिकरणों के समक्ष लंबित सभी मामले, उनके अभिलेखों सहित, उस तिथि को ऐसे संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण को स्थानांतरित हो जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, "राज्य अधिकरण" का अर्थ धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत स्थापित अधिकरण है।

(4) जहाँ कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी से किसी अधिकरण को स्थानांतरित हो जाती है, वहाँ—

(क) न्यायालय या अन्य प्राधिकारी, ऐसे स्थानांतरण के यथासंभव शीघ्र बाद, ऐसे वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के अभिलेख अधिकरण को अग्रेषित करेगा; और

(ख) अधिकरण, ऐसे अभिलेखों की प्राप्ति पर, ऐसे वाद, अपील या अन्य कार्यवाही से उसी प्रकार निपटने के लिए आगे बढ़ सकेगा, जहाँ तक संभव हो, जैसा कि धारा 19 के तहत आवेदन के मामले में होता है, उस चरण से जो ऐसे स्थानांतरण से पहले पहुंच गया था या किसी पूर्ववर्ती चरण से या नए सिरे से, जैसा कि अधिकरण उचित समझे।

(5) जहाँ कोई मामला उप-धारा (3) के तहत संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण को स्थानांतरित हो जाता है, वहाँ संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण ऐसे मामले से उसी चरण से निपटने के लिए आगे बढ़ सकता है जो उसके इस प्रकार स्थानांतरित होने से पहले पहुंच गया था।



3[(6) प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 51) के प्रारंभ से ठीक पहले किसी अधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक मामला, जो ऐसा मामला हो जिसका वाद-हेतुक जिस पर वह आधारित है, ऐसा हो कि यदि वह ऐसे प्रारंभ के बाद उत्पन्न हुआ होता, तो वह किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होता, उसके अभिलेखों सहित, ऐसे प्रारंभ पर ऐसे न्यायालय को स्थानांतरित हो जाएगा।

(7) जहाँ कोई मामला उप-धारा (6) के तहत किसी न्यायालय को स्थानांतरित हो जाता है, वहाँ वह न्यायालय ऐसे मामले से उसी चरण से निपटने के लिए आगे बढ़ सकता है जो उसके इस प्रकार स्थानांतरित होने से पहले पहुंच गया था।"]

17. उपर्युक्त प्रावधान अपने शब्दों में अत्यंत स्पष्ट है कि 1985 के अधिनियम के तहत किसी अधिकरण की स्थापना की तिथि से ठीक पहले किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक वाद या अन्य कार्यवाही, उस तिथि को अधिकरणों को स्थानांतरित हो जाएगी। उपर्युक्त प्रावधानों में 'किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित' शब्द का सारगर्भित अर्थ है। प्रश्न यह है कि किसी मामले को कब यह कहा जा सकता है कि वह किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, क्या वह तिथि जब इसे दायर किया जाता है, या वह तिथि जब इसका अंतिम रूप से निर्णय किया जाता है। जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, निर्विवाद रूप से, संस्थान की अधिसूचना की तिथि 13.01.2026 है और वर्तमान रिट याचिका 08.01.2026 को दायर की गई है, जबकि विज्ञापन की तिथि 11.11.2025 है, जैसा कि स्वयं विज्ञापन से स्पष्ट है और रिट याचिका मुख्य रूप से उक्त विज्ञापन को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि रिट याचिका 13.01.2026 को जारी अधिसूचना तक लंबित रही, इसलिए, 1985 के अधिनियम की धारा 29 का अधिदेश वर्तमान मामले पर लागू होगा और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा लिया गया यह तर्क कि अधिसूचना रिट याचिका दायर करने के बाद जारी की गई है, का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. एल. चंद्र कुमार (उपर्युक्त) मामले में प्रतिपादित कानून के अनुसार, यह निर्धारित किया गया है कि ऐसे अधिकरणों के पास उस दिन से पूर्ण अधिकार क्षेत्र होता है, जिस दिन से वे अस्तित्व में आते हैं। यहाँ तक कि पैराग्राफ 99 में यह कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 323क और 323ख के तहत बनाए गए अधिकरणों के पास वैधानिक प्रावधानों और नियमों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने की क्षमता है, और यहाँ तक कि विधायी अधिनियमों की वैधता की भी अधिकरणों द्वारा जांच की जा सकती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा भरोसा की गई लीलावती एन. (उपर्युक्त) के मामले में प्रतिपादित कानून के अनुसार, पैराग्राफ 36 में यह निर्धारित किया गया है कि जहाँ एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो, वहाँ उच्च न्यायालय को उन मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए, जो सीधे तौर पर अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आते हों। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अपने इन तर्कों को पुष्ट करने में विफल रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं का मामला भारत के संविधान की योजना के तहत गठित अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

20. परिणामस्वरूप, यह न्यायालय प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल पाता है, इस प्रकार, प्रारंभिक आपति स्वीकार की जाती है।

21. अतः, दोनों रिट याचिकाएं इस आधार पर खारिज की जाती हैं कि वे सुनवाई योग्य नहीं हैं।

22. याचिकाकर्ताओं को विधि के तहत प्रदान किए गए उपयुक्त उपचार का अनुसरण करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

17 फरवरी, 2026

मयंक